



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
फोन नम्बर 0141 2229981, E mail ID:cojsy.nhm@gmail.com


क्रमांक : F (2) NHM/RCH/JSY/DBT/PART/109

दिनांक : 18/2016

समस्त अधीक्षक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,
समस्त संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,


विषय : शुभलक्ष्मी योजना की ऑनलाईन द्वितीय किश्त के भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 01, अगस्त 2015 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्चतर राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओजस सॉफ्टवेयर के द्वारा जननी सुरक्षा योजना का ऑनलाईन परिलाभ दिया जा रहा है। साथ ही दिनांक 31.05.2016 तक उक्त संस्थानों में प्रसवोपरान्त जीवित बालिका के जन्म पर शुभलक्ष्मी योजना की प्रथम किश्त का भुगतान ऑनलाईन लाभार्थियों को जारी किया गया है। इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि 01 अगस्त, 2015 से 31.05.2016 तक उक्त संस्थानों में प्रसवोपरान्त जीवित बालिका वाले केसेज में शुभलक्ष्मी योजना की द्वितीय किश्त का परिलाभ, योजना के नियमानुसार, ओजस संस्थानों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेटेलाईट अस्पताल, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज संबन्धित अस्पताल) द्वारा ही ऑनलाईन भुगतान ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थियों को दिया जावेगा।


निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ : -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक - आरसीएच मुख्यालय, जयपुर।
4. निदेशक वित्त, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर/वित्तीय सलाहकार, प.क.।
5. परियोजना निदेशक मातृ स्वास्थ्य, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक/जिला नोडल अधिकारी/जिला आशा समन्वयक।
7. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ समस्त ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त जिले।
8. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी उप जिला अस्पताल/सेटेलाईट अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त जिलों में एवं सम्बन्धितों को ई-मेल द्वारा सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
10. रक्षित पत्रावली।


निदेशक, आरसीएच